कार्यालय नगरपालिका, कुचामन सिटी

जिला नागौर (राजस्थान)

31.01.2007

क्रमांक नपाकु/7295/06-07 दिनांक.......................

श्री अर्जुनराम सचिव श्री नारायण शिक्षण संस्थान
.......अध्यक्ष – नारायण शिक्षण संस्थान
.......सीकर रोड कुचामन

विषय :– निर्माण स्वीकृति

पत्रावली संख्या :– 113/06-07

आपको संलग्न नक्शे के अनुसार आपकी जमीन पर निम्न शर्तों के अनुसार निर्माण की स्वीकृति
दी जाती है :–

1 आपको यह स्वीकृति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 170 के अन्तर्गत एक साल के
लिये दी गई है जिसकी अवधि दिनांक......30.1.08....को समाप्त हो जावेगी ।

2 आप अपनी जमीन के अलावा नगरपालिका की जमीन अथवा आम रास्ते पर चबूतरी, छज्जा अथवा
सिढी लगाकर अतिक्रमण न करें ।

3 आपके मकान के पर नाले अथवा नाली किसी अन्य व्यक्ति के मकान अथवा जमीन पर न निकाले व
मकान की छत से गिरने वाले नाले के जमीन तक पाईप लगावें ।

4 आप अपने मकान के दरवाजे, खिड़की अथवा रोशनदान अन्य व्यक्ति की जमीन पर न निकाले ।

5 आपको यह स्वीकृति अपनी पट्टासुद, कब्जासुद, खरीद सुदा भूमि पर माफिक संलग्न नक्शा निर्माण की दी

6 शहर की छत जमीन के लेवल से नीचे लड़ी पट्टियां लगाकर करे तथा सफाई व सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करें
निर्माण स्वीकृति के विपरीत कोई कार्य नहीं करें ।

वर्षा जल संग्रहण हेतु
वाटर टैंक का निर्माण
अनिवार्य है।

(मोहर: नगर पालिका मण्डल कुचामन सिटी (नागौर))

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी
(हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि –
(1) ...
(2) ...

(हस्ताक्षर)
सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

कुचामन सिटी (नागौर) राज.

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रावधानों के अन्तर्गत पुन: आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 12/12/2006 को आवंटन/पत्रावली संख्या ...... पट्टा संख्या ......

को राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और

श्री/~~श्रीमती~~ अर्जुन राम S/o श्री नारायण राम

~~पुत्र/पत्नी~~ अध्यक्ष श्री नारायण शिक्षण संस्थान

जाति जाट व्यवसाय कृषि,

निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामन सिटी

(जिमकों इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रवन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 119850/- अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ पचास मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुन: आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षैत्र, कुचामन वार्ड नं. सीकर रोड में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारोंके अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

(खसरा 1577 - 1581, 1651 - 1654, 1658 - 1661, 2578/1632, 2662/1661)

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुन: आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. (अ.) पट्टेदार, नगर पालिका कुचामन के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी।

   (ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमाबन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमाबन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।
3. शहरी जमाबन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।
4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमाबन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

अमरा

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

कुचामन सिटी. जिला-नागौर (राज.)

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर संस्थागत प्रयोजनार्थ भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्यथा उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि भूखण्ड रिक्त है तो उस पर निर्माण नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

भूखण्ड पर निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंह बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण /नामान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पदों में निर्देशित आशय के असंगत है विना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड विना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

11. रास्ते या जनहित में आवश्यकता होने पर भूमि छोड़नी होगी।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि रु 119850/- एक लाख उन्नीस हजार आठ सौ पचास रुपये है।

अतएव स्टाम्प 5000 + 1000 + 1000 + 1000 = 8000/- के

वहैसियत पंजियन इसके साथ लगाये जाते हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन का खर्चा पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

भुजाओं का नाप :- पूर्व 62.33 गज, पश्चिम 62.33 गज

उत्तर 64.01 गज, दक्षिण 64.01 गज

क्षेत्रफल : 35950.75 वर्गफीट (3994.52 वर्ग गज)

सीमाओं के पड़ौस :- पूर्व में आम रास्ता 40 फीट एवं संस्थान की जमीन पश्चिम में आम रास्ता 30 फीट

उत्तर में संस्थान की जमीन दक्षिण में संस्थान की जमीन

हस्ताक्षर पट्टेदार

अध्यक्ष
नगर पालिका, कुचामन सिटी
अध्यक्ष
न. पा. कुचामन सिटी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी
न. पा. कुचामन सिटी

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

596341

विक्रय ... संख्या 1111/06
1436/06

अध्यक्ष
...र पालिका, कुचामन सि...

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सि...

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

2833 ... पार्किंग

2 ...

4 ... 20 26

...

3-12-2008

8600
₹ 8000

5000×1 = 5000
1000×3 = 3000
~~500×1 = 500~~
~~100×1 = 100~~
8600

मोहनलाल भाटी
मुद्रांक विक्रेता
कुचामन सिटी (राज.)

आज दिनांक 14-12-06 का समय 12:35 Am
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री रतनलाल जाना E.O.
पुत्र न० पा० कुचामन सिटी
उम्र
द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी

रसीद संख्या 77
दिनांक 14-12-06
पंजीयन शुल्क 1320
...
... 200
...
... 570
योग 2096

उप पंजीयक कुचामन सिटी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

596342

विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 1112/06

पत्रावली संख्या 1437/06

स्टाम्प पूर्ति हेतु संलग्न है।

अध्यक्ष

नगर पालिका, कुचामन सिटी

अधिशाषी अधिकारी

कुचामन सिटी

कुचामन सिटी. जिला-नागौर

सचिव

श्री नारायण शिक्षण संस्थान

सीकर रोड़, कुचामन सिटी

2836 / 20 / 6 / 8

याकुब

मोहनलाल भाटी
मुद्रांक विक्रेता
कुचामन सिटी (राज.)

याकुब

आज दिनांक 14.12.06 का समय 12:40 AM
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री रतनलाल जांगा
पुत्र ... नणापुरा जाति ... कुचामन सिटी
उम्र ...
द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी

रसीद संख्या 78
दिनांक 14-12-06
पंजीयन शुल्क 1320/-
मौका शुल्क —
प्रतिलिपि शुल्क 200/-
लिपिक शुल्क —
अन्य शुल्क 580/-
योग 2100/-

उप पंजीयक कुचामन सिटी

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

15 FEB 2007

उपकोष (नागौर)

राजस्थान RAJASTHAN

।। श्री ।।

संशोधन पत्र(शुद्धीपत्र),

यह संशोधन पत्र आज दिनांक 15–3–2007 को निष्पादीत किया जाता है कि नगरपालिका कुचामन सिटी तहसील नांवा जिला नागौर राजस्थान द्वारा पत्रावली सं0 1437/06 के अनुसार दिनांक 12–12–2006 को एक पट्टा सं0 1112/06 पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी के हक में जारी किया गया जिसका पंजियन उप पंजियक कुचामन सिटी के कार्यालय में दिनांक 14–12–2006 पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 109 के पृष्ठ सं0 104 कम सं0 2553/06 अतिरिक्त पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 296 पृष्ठ सं0 209–214 पर चस्पा किया गया है। उक्त पट्टा सं0 1112/06 के प्रथम पृष्ठ पर जहां पट्टेदार कैसाराम पुत्र श्री नारायणराम मन्त्री श्री नारायण शिक्षण संस्थान जाति जाट व्यवसाय कृषि निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामन सिटी लिखा हुआ है। वहा पट्टेदार का शुद्ध व सही नाम श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी लिखा हुआ समझा जावें व पढा जावें ।

चूकि उक्त संस्था श्री नारायण शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी के वर्तमान मन्त्री कैसाराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामन

लगातार–2–

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

क्रमांक 423 दिनांक 13/3/07
नाम नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी
पिता का नाम —
ग्राम — निवासी —
द्वारा आयुक्त उम्र —
मार्फत ...

मुद्रांक विक्रेता कुचामन सिटी

आज दिनांक 21/3/07 को
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री आयुक्त ... नगर पालिका
पुत्र ... जाति
उम्र ... निवासी कुचामन सिटी
द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी

रसीद संख्या 19
दिनांक 21.3.07
पंजीयन शुल्क 100
मौका शुल्क —
पृष्ठांकन शुल्क —
प्रतिलिपि शुल्क 100
अन्य शुल्क —
योग 200/-

उप पंजीयक कुचामन सिटी

सिटी वाले है। जिनका नाम उपरोक्त पट्टे में पट्टेदार संस्था के मन्त्री की हैसियत से लिख दिया गया जो भुल से लिख दिया गया है। वरतुतः उपरोक्त पट्टा विलेख सं0 1112/06 पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी के नाम से ही जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त पट्टा विलेख में जहां कही भी पट्टेदार का नाम दर्ज है वहा पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी ही लिखा हुआ माना जावें व पढा जावें। इसके अलावा उपरोक्त पट्टे में लिखित अन्य तमाम तथ्य सही व दुरूस्त है। जो यथावत माने जायेगें तथा यह संशोधन पत्र (शुद्धी पत्र) उक्त मूल पट्टा विलेख का ही भाग समझा जावेगा व माना जावेगा। अतः यह संशोधन पत्र 100/– के स्टाम्प पेपर व एक पाई पेपर पर मुद्रित करवाया गया है जो सही एवं स्वीकार है।

हस्ताक्षर	अध्यक्ष नगर पालिका कुचामन सिटी	अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामन सिटी
मन्त्री	अधिशाषी अधिकारी	अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी	न0 पा0 म0 कुचामन सिटी	न0पा0म0 कुचामन सिटी

उप पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

कार्यालय उप पंजीयक कुचामन सिटी।

....

आज [illegible] संशोधन पत्र (मुद्रांक) [illegible]

को [illegible] 80 कमल पालिका [illegible]

[illegible] नारायण [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] व

[illegible]

[illegible] किया। निष्पादन

[illegible] स्वीकार किया। निष्पादन

कर्ता को श्री ~~पूनाराम~~ चौधरी पालि[illegible]

[illegible] पालिका [illegible] जाति

[illegible] है जिनको

निवासी .... पहचानते हैं। जिनसे मैं

भी ....

परिचित हूँ अतः [illegible] पंजीयन हेतु स्वीकार

किया गया। दिनांक 21/3/07 प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक कुचामन सिटी

आज दिनांक 21/3/07 को पुस्तक सं० [illegible] 619/07

जिल्द सं० 112 के पृष्ठ सं० 77 क्रम सं०

पर पंजीयन किया गया तथा अतिरिक्त पु०

सं० 1 जिल्द सं० 310 पृष्ठ सं० 194-195

पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी

जिला-नागौर (राज.)

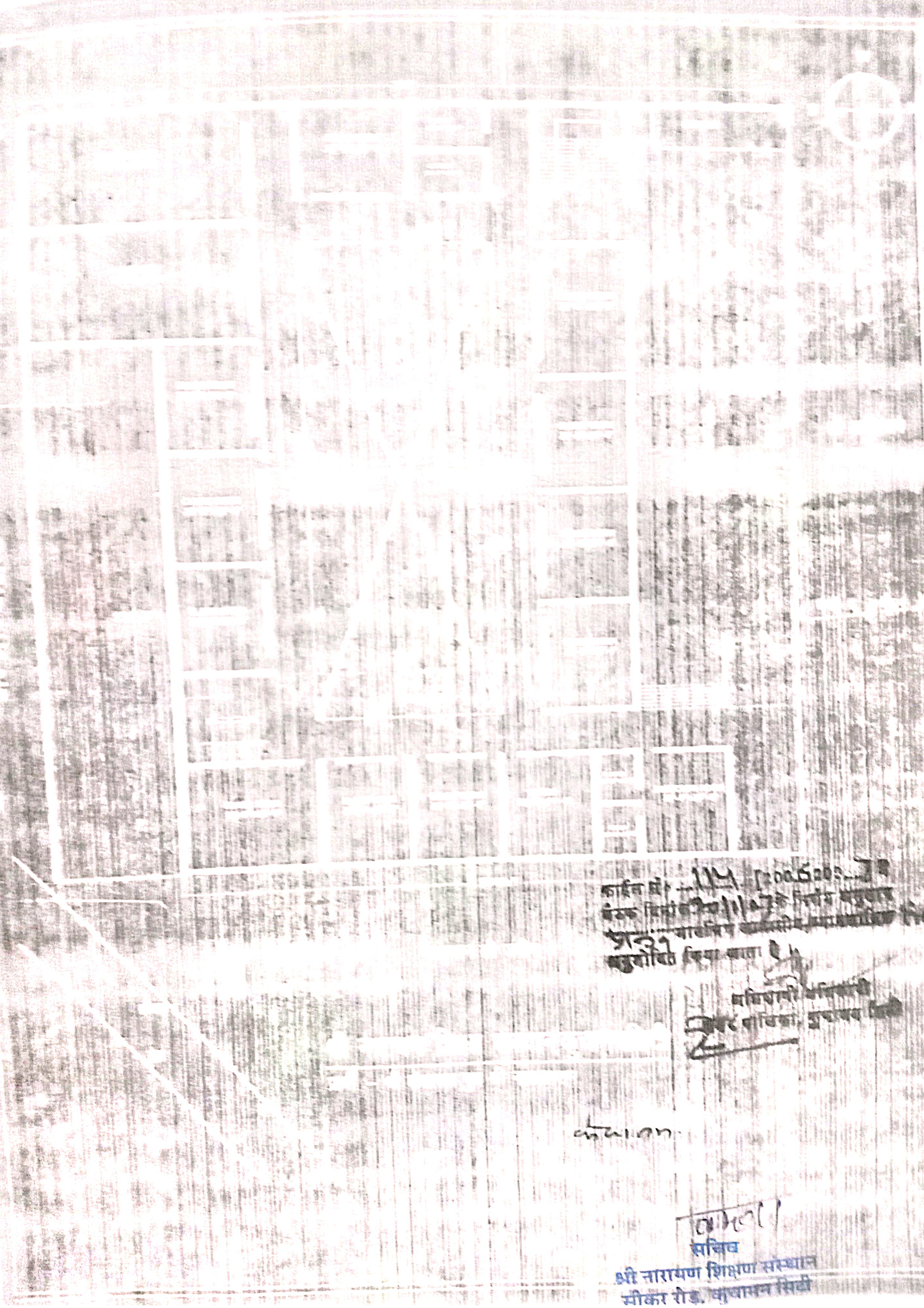

फाईल सं. 114 [2005002 [illegible]] के
बैठक दिनांक [illegible] के निर्णय अनुसार
[illegible]
अनुमोदित किया जाता है।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, [illegible]

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, [illegible]

1577/1081
164/10/54

उप-पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

प्रतिग्राही अधिकारी

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

कार्यालय नगरपालिका मण्डल

कुचामन सिटी (नागौर) राज.

Annex -

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 "ख" के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 12/12/2006 को आवंटन/पत्रावली संख्या .... पत्रा ....

को राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर

श्री/श्रीमती केसाराम S/o श्री नारायण राम

पुत्र/पत्नी श्री नारायण शिक्षण संस्थान

जाति जाट व्यवसाय खेती

निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामनसिटी

(जिनको इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वह अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधी और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच किया गया है।

इस बात का साक्षी है कि रूपये 120000/- अक्षरे एक लाख बीस हजार रुपये

मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (और जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो नगरपालिका क्षेत्र, कुचामन वार्ड नं. सीकर रोड में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारोंके अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

(हस्तलिखित हाशिया: ख.नं. 1577/1581, 1651/1654, 1658/1661, 2378/2662, 1752/1661)

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमावन्दी के आधार पर लीज होल्ड पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. (अ.) पट्टेदार, नगर पालिका कुचामन के कार्यालय में अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य स्थान पर प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन उक्त भू-खण्ड के संबंध में आरक्षित दर की 2.5% की दर से शहरी जमाबन्दी जमा करायेगा। निर्धारित तिथि तक जमा नहीं कराने की दशा में नियमानुसार देय ब्याज राशि वसूल की जावेगी।

   (ब) दस वर्ष की अग्रिम शहरी जमावन्दी एकमुश्त जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदत्त किया जावेगा। साथ ही राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-5 (2) न.वि.वि./3/99 दिनांक 15.11.99 के अनुसार शहरी जमावन्दी आरक्षित दर के बजाय केवल नियमन राशि की 2.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी।

3. शहरी जमावन्दी की निर्धारित धनराशि में प्रत्येक 15 वर्ष व्यतीत होने के तुरन्त पश्चात् तथा प्रत्येक हस्तान्तरण पर 25 प्रतिशत उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। 15 वर्ष की अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से संगणित की जायेगी।

4. उपरोक्त तारीख तक किसी रकम या परिवर्धित रकम या उसके किसी अंश की जो शहरी जमावन्दी के कारण वाजिब हो, अदायगी न करने पर सरकार ऐसी रकम या उसके अंश को उस तरीके से जो उस समय मालगुजारी के बकाया की वसूली के लिये निर्देशित किया गया है, वसूल करेगी और वसूल करने के लिये सक्षम होगी।

अध्यक्ष
नगर पालिका, कुचामन

उप सचिव / सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

5. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर संस्थानिक प्रयोजनार्थ भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्यथा उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक प-5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में संबंधित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. यदि भूखण्ड रिक्त है तो उस पर निर्माण नगरपालिका के बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार करना होगा। इसके लिए भूखण्ड धारक द्वारा प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

भूखण्ड पर निर्माण नगरपालिका से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

7. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्युल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशनल हाउसिंह बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

8. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण /नामान्तरण नगरपालिका के नियमों के अनुसार करवाना होगा।

9. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पदों में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।

10. पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी। यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

11. रास्ते या जनहित में आवश्यकता होने पर भूमि छोड़नी होगी।

नोट :- इस भूखण्ड की नियमन राशि रू. 120000/= एक लाख बीस हजार रुपये है।
अतएव स्टाम्प 5000 + 1000 + 1000 + 1000 = 8000/= के बहैसियत पंजियन इसके साथ लगाये जाते हैं। स्टाम्प एवं पंजीयन का खर्चा पट्टेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

भुजाओं का नाप :- पूर्व 62.43 गज, पश्चिम 62.43 गज

उत्तर 64.01 गज, दक्षिण 64.01 गज

क्षेत्रफल : 3999.86 वर्ग गज

सीमाओं के पड़ौस :- पूर्व में संस्थान की जमीन पश्चिम में आम रास्ता 30 फीट

उत्तर में संस्थान की जमीन दक्षिण में S/o सलीम राव की जमीन

हस्ताक्षर पट्टेदार

अध्यक्ष
नगर पालिका, कुचामन
अध्यक्ष
न. पा. कुचामन सिटी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी
अधिशाषी अधिकारी
न. पा. कुचामन सिटी

उप पंजीयक
कुचामन सिटी, जिला नागौर (राज.)

RAJASTHAN

745125

विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 111208

1437/08

अध्यक्ष
नगर परिषद

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

19 DEC 20..

सत्यमेव जयते

INDIA

745125

राजस्थान RAJASTHAN

विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 1112/08

1537/08

अध्यक्ष

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका, कु...

नगरपालिका ...

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सचिव

श्री नारायण शिक्षण संस्थान

सीकर रोड, कुचामन सिटी

28376 नम्बर पानीका [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8-12-2006

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

1 DEC 2006

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 1112/08

[illegible] संख्या 1437/86

[illegible]

अध्यक्ष

अधिशाषी अधिकारी

[illegible] नगरपालिका [illegible]

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

कमला

सचिव

श्री नारायण शिक्षण संस्थान

सीकर रोड़, कुचामन सिटी

2836 नगर पालिका मण्डल

12 कुचामन सिटी

पट्टा [illegible]

याकूब कुरैशी [illegible] 26

8-12-2006

याकूब

कार्यालय उप [illegible] कुचामन सिटी

[illegible] पट्टा पंजीयन

[illegible] रतनलाल जाना [illegible] [illegible]

[illegible] कुचामन सिटी [illegible] द्वार

केसाराम [illegible] नारायण राम

मंत्री नारायण शिक्षण संस्थान नि. सुजानपुरा

[illegible] कुचामन सिटी

[illegible] 120000

प्रवीण शर्मा Adv

[illegible] कुचामन सिटी

[illegible] हेतु [illegible]

[illegible] गया । दिनांक 14-12-06 प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक कुचामन सिटी

पक्षकार

प्रवीण [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN

विक्रय प्रमाण पत्र संख्या 111406

पत्रावली संख्या 1437/18

स्टाम्प पूर्ति हेतु संलग्न है।

कुचामन सिटी, जिला-नागौर (राज.)

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

2336 नगर पालिका मंडल
1 ८ कुमार सिंह
पत्र निरिक्षण
आकुल कुरैशी कार्यालय 26

8-12-2006

5000 =

5000x1 = 5000
1000x3 = 3000
8000

पाठक

स्टाम्प ... देय राशि 5800
रसीद नं. 78 ... 14.12.06
के प्राप्त ... के दस्तावेज
कुल रकम ... 8580 ... स्टाम्प पत्र
संबंधित माना ...।

उप पंजीयक मुख्यालय सिवनी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

1111/06

1436/06

अधिशाषी अधिकारी

उप पंजीयक

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

2835 नगर पालिका [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8-12-2006

[illegible] [signature]

[illegible] आर्य

[illegible]

राशि 570/-
रसी[illegible] 77 [illegible] 14-12-06
से प्रा[illegible] [illegible]वेध
कुल रु[illegible]...8750/- [illegible]टाम्प पर
[illegible]बद्ध माना [illegible]।

उप पंजीयक [illegible]ामन सिटी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

745129

विक्रय पत्र संख्या 1111/06
1436/06

परिशाधी अधिकारी

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

8-12-1006

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

1 DEC 2016

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

सचिव

2833

यह पर्चा [illegible]

[illegible]

पत्र [illegible]

याकूब [illegible] 26

8-12-2006

[illegible]

याकूब

कार्यालय [illegible] कुचामन सिटी

पत्रा पंजीयन

श्री रतनलाल जावा E.O. नगरपालिका

कुचामन सिटी

अर्जुनराम S/o नारायण राम जाट

अध्यक्ष नारायण शिक्षण संस्थान नि. सुजानपुरा

तहसील कुचामन

119850

प्रवीण शर्मा Adv

कुचामन सिटी

[illegible] दिनांक 15-12-06 [illegible]

[illegible] कुचामन सिटी

पहचानकर्ता

प्रवीण शर्मा Adv.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान

5 FEB 2007

राजस्थान RAJASTHAN

|| श्री ||

संशोधन पत्र(शुद्धीपत्र)

यह संशोधन पत्र आज दिनांक 15–3–2007 को निष्पादित किया जाता है कि नगरपालिका कुचामन सिटी तहसील नांवा जिला नागौर राजस्थान द्वारा पत्रावली सं0 1436/06 के अनुसार दिनांक 12–12–2006 को एक पट्टा सं0 1111/06 पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी के हक में जारी किया गया जिसका पंजियन उप पंजियक कुचामन सिटी के कार्यालय में दिनांक 14–12–2006 पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 109 के पृष्ठ सं0 103 कम सं0 2552/06 अतिरिक्त पुस्तक सं0 01 जिल्द सं0 296 पृष्ठ सं0 203–208 पर चस्पा किया गया है। उक्त पट्टा सं0 1111/06 के प्रथम पृष्ठ पर जहां पट्टेदार अर्जूनराम पुत्र श्री नारायणरान अध्यक्ष श्री नारायण शिक्षण संस्थान जाति जाट व्यवसाय कृषि निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामन सिटी लिखा हुआ है। वहा पट्टेदार का शुद्ध व सही नाम श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी लिखा हुआ समझा जावें व पढा जावें ।

चूकि उक्त संस्था श्री नारायण शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी के वर्तमान अध्यक्ष अर्जूनराम पुत्र श्री नारायणराम जाति जाट निवासी सुजानपुरा हाल निवासी कुचामन

लगातार–2–

अध्यक्ष
नगर पालिका कुचामन सिटी

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड, कुचामन सिटी

क्रमांक 631 दिनांक 13/3/07
नाम नगर पालिका मंडल कुचामनसिटी
पिता का नाम
जाति निवासी
द्वारा आयुक्त उम्र
जरिये आयुक्त

उप पंजीयक कुचामन सिटी
मुद्रांक विक्रेता कुचामन सिटी

आज दिनांक 21/3/07 को
उप पंजीयक कुचामन सिटी के कार्यालय
में श्री आयुक्त E.O. नगरपालिका
पुत्र जाति
उम्र निवासी कुचामन
द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी

रसीद संख्या 18
दिनांक 21/3/07
पंजीयन शुल्क 100
प्रतिलिपि शुल्क
पृष्ठांकन शुल्क 100
निरीक्षण
अन्य शुल्क
योग 200/-

उप पंजीयक कुचामन सिटी

सिटी वाले है। जिनका नाम उपरोक्त पट्टे में पट्टेदार संस्था के अध्यक्ष की हैसियत से लिख दिया गया जो भुल से लिख दिया गया है। वस्तुतः उपरोक्त पट्टा विलेख सं0 1111/06 पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान कुचामन सिटी के नाम से ही जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त पट्टा विलेख में जहां कही भी पट्टेदार का नाम दर्ज है वहां पट्टेदार श्री नारायण शिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी ही लिखा हुआ माना जावें व पढा जावें ।इसके अलावा उपरोक्त पट्टे में लिखित अन्य तमाम तथ्य सही व दुरूस्त है। जो यथावत माने जायेगें तथा यह संशोधन पत्र (शुद्धी पत्र) उक्त मूल पट्टा विलेख का ही भाग समझा जावेगा व माना जावेगा। अतः यह संशोधन पत्र 100/– के स्टाम्प पेपर व एक पाई पेपर पर मुद्रित करवाया गया है जो सही एवं स्वीकार है।

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
कुचामन सिटी

हस्ताक्षर
अध्यक्ष
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुचामन सिटी
न0 पा0 म0 कुचामन सिटी

हस्ताक्षर
अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी
न0पा0म0 कुचामन सिटी

सचिव
श्री नारायण शिक्षण संस्थान
सीकर रोड़, कुचामन सिटी

कार्यालय उप पंजीयक कुचामन सिटी

....

आज यह दस्तावेज संशोधन पत्र (मुख्तारनामा) उपस्थिति
श्री .... द्वारा
जाति .... निवासी
प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत श्री नारायण ....
पुत्र श्री .... जाति
निवासी .... के रूप में कारोबार प्रतिफल
की राशि .... कार्यालय में लेना
स्वीकार कर दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर व
अंगुष्ठ निशान .... स्वीकार किया। पक्षकार
सुनाया तो सही होना स्वीकार किया। निष्पादन
कर्ता को श्री ....
पुत्र .... जाति
निवासी .... पहिचानते है जिनको
श्री .... पहिचानते है। जिनसे मैं
परिचित हू अतः दस्तावज पंजीयन हेतु स्वीकार
किया गया। दिनांक 21/3/07 .... प्रस्तुतकर्ता

उप पंजीयक कुचामन सिटी

आज दिनांक 21/3/07 .... को पुस्तक सं० 1 क्रम सं० .... 6/4/07
जिल्द सं० 113 के पृष्ठ सं० 76 क्रम सं० ....
पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पु० 192 - 193
सं० 1 जिल्द सं० 310 पृष्ठ सं० ....
पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक कुचामन सिटी
जिला-नागौर (राज.)

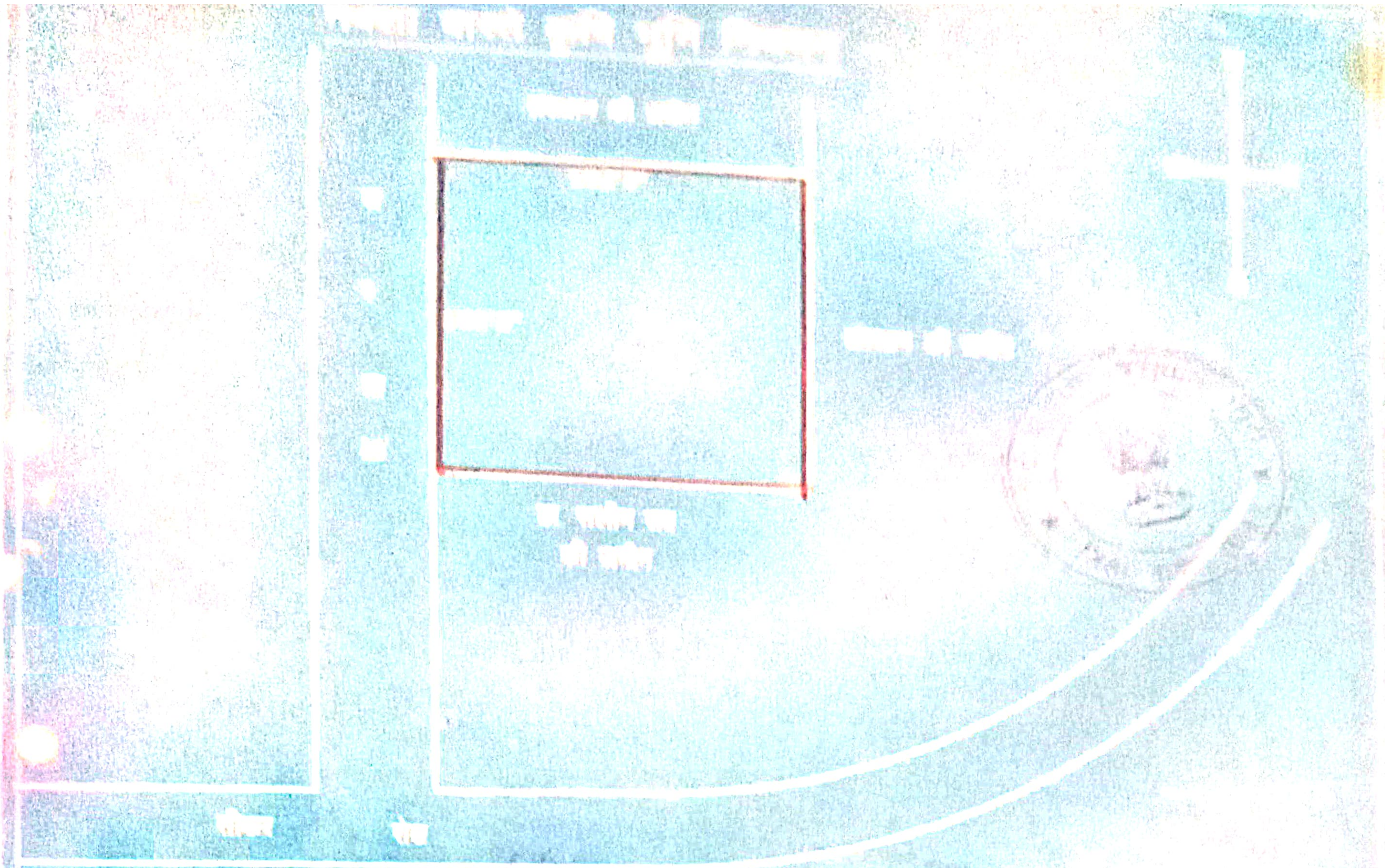

श्री नारायण शिक्षा संस्थान

[illegible] – श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible]

1577/20 1581
1654/1 1661

कुचामन सिटी खसरा नं. 1651/1654 [illegible] 2070/1432 2662/1661

स्थित प्रार्थी श्री केसाराम पुत्र श्री नारायणराम की जमीन [illegible]

प्रयोजनार्थ हेतु आबादी में रूपांतरण कराना चाहते है।

नाप जमीन–

उत्तर–दक्षिण	x	पूर्व–पश्चिम	=	क्षेत्रफल
[illegible]	x	[illegible]	=	[illegible]
			=	[illegible]
			=	[illegible]

[illegible] प्रमाण पत्र संख्या 1112/08
[illegible] 1437/08

[illegible]

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुचामन सिटी

[illegible]